जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

फोन नं0– 06156–224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

पत्रांक......................... / अभि0
दिनांक.............. / ...... / 2020

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया ने अपने पत्रांक 391 दिनांक 21.03.2020 द्वारा श्री सुधीर कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखण्ड–कटेया, HRMS ID-106713 का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1 कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र से दिनांक 06.09.2019 से लगातार अनुपस्थित रहना।
2 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के किसी भी लाभुक का आवास जाँच नहीं करना।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रखण्ड–कटेया के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य का Registration और Remand से संबंधित कागजात नहीं उपलब्ध कराना।

श्री सुधीर कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखण्ड–कटेया, HRMS ID-106713 की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया द्वारा संविदा रद्द करने की अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 1026 दिनांक 12.10.2019, एवं ज्ञापांक 102 दिनांक 27.01.2020 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया से श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी। उक्त पत्रों के निदेश के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया द्वारा संविदा रद्द करने हेतु आरोप पत्र दिया गया है। जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध दिनांक 06.09.2019 से लगातार अनुपस्थित रहने, लाभुक का आवास जांच नहीं करने एवं प्राप्त लक्ष्य का Registration और Remand से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रखण्ड कटेया में प्राप्त लक्ष्य 95 के विरूद्ध में से उनके द्वारा 51 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन संबंधित कागजात उपलब्ध कराया गया परन्तु 44 लाभुकों का न रजिस्ट्रेशन और न हीं Remand से संबंधित कागजात प्रखण्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे प्रखण्ड की प्रगति काफी खराब हुई है। प्रखण्ड कार्यालय कटेया के ज्ञापांक 1917 दिनांक 01.10.2019 द्वारा श्री कुमार को पूर्व प्रेषित (ज्ञापांक 1815 दिनांक 19.09.2019) का जबाव भी नहीं दिया गया है। इसके साथ–साथ प्रखण्ड कार्यालय कटेया के पत्रांक 2003 दिनांक 17.10.2019 का भी श्री सुधीर कुमार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, जो उनके कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है। पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक 02मु0 दिनांक 10.04.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण के मांग की गयी है, जिसका जवाब अबतक अप्राप्त है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों, अनुशंसा, अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका संख्या–10 के प्रावधान "The employer may terminate this contract without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party." का उल्लंघन करने के आरोप में श्री सुधीर कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखण्ड–कटेया का अनुबंध अनाधिकृत रुप (दिनांक 06.09.2019) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरूद्ध अपील जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकतें है।

ह0 –
(सज्जन आर0)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 347 / दिनांक 17.4.2020 /

प्रतिलिपि :– श्री सुधीर कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखण्ड–कटेया, HRMS ID-106713 को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटेया को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख/संचिका, पंजी आदि प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 डायरेक्टर, बी0आर0डी0एस0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(सज्जन आर0)
उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।

Scanned with CamScanner